

संशोधित संकल्प

डा0 रामनगीना प्रसाद सिंह, सिविल सर्जन रोहतास, पुनः संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ पटना संप्रति सेवानिवृत्त विभागीय संकल्प सं0 966(9) दिनांक 2.8.12 द्वारा अनुबंध (छायाप्रति संलग्न) में उल्लिखित आरोपों के लिए बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43 'बी' के तहत आरोपों के लिए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गई है। उक्त विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी डा0 मधुरेन्द्र किशोर, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं के दिनांक 31.12.2014 को सेवानिवृत्त हो जाने के उपरांत अब उपर्युक्त विभागीय कार्यवाही में डा0 आबिद हुसैन, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है। उपस्थापन पदाधिकारी पूर्व की भांति प्रशाखा पदाधिकारी-9, बिहार, पटना होंगे।

आदेश— आदेश दिया जाता है कि अनुबंध की एक प्रति सभी संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु अवश्य भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : / स्वा0, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका एवं अनुबंध की एक प्रति (विभागीय कार्यवाही का फोल्डर सहित) के साथ संचालन पदाधिकारी, डा0 आबिद हुसैन, संयुक्त निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना को इस अनुरोध के साथ अग्रसारित की जाती है कि वे अविलम्ब इसकी जांच कर अधिगम तीन माह के अन्दर उपलब्ध कराने की कृपा करेंगे।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : / स्वा0, पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति प्रशासी पदाधिकारी, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को उपस्थापन दाखिल करने हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 333 (9) / स्वा0, पटना, दिनांक : 28/4/2015

प्रतिलिपि: साक्ष्य तालिका सहित अनुबंध की एक प्रति डा0 रामनगीना प्रसाद सिंह, सिविल सर्जन, रोहतास सम्प्रति संक्रामक रोग अस्पताल, अगमकुआँ, संप्रति सेवानिवृत्त, पता-फ्लैट नं0 F4, कुन्ती विला अपार्टमेंट, अम्बेदकर पथ, पटना-14 पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा 2,3,7,8, एवं 17 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि: आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

६